न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 48/2026 बउनवानी धर्मवीर बेरवा **बनाम** अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
निवासी 334 जालूपुरा, संसारचन्द्र रोड़ के पास वार्ड नम्बर 67, जयपुर हेरीटेज

Appeal Number- 321653231539597

GCMS No-2026/ 94

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 29.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***गंगापुर सिटी के वार्ड संख्या 30 को लेकर कुल 6 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*** " अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2026/2201 दिनांक 22.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 29.1.2026 मे चाही गयी सूचना का संबंध में नगर परिषद सवाईमाधोपुर से होने के कारण अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 1589–90 दिनांक 9.2.2026 द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी का संबंध आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी से होने के कारण अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय पत्रांक 1589–90 दिनांक 9.2.2026 से अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध मे आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी के कार्यालय से होने के कारण उक्त सूचना अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner